

# सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी  
(विभाग/कार्यालय)

27/18-19

कम्प्यूटरीकृत आगत  
पंजीयन संख्या

113582 कु

प्रधान सचिव

पत्र निर्माण विभाग, पटना, बिहार,

1. आवेदक का नाम राज कुमार
2. पूरा पता ग्राम-माधोपुर रोशन-पोठ-अमरवाड़ा, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी बिहार
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री जयचन्द्र लाल कनीष अलिभेता पत्र प्रिंटिंग सीतामढ़ी में लगभग 10 (दस वर्षों) से पत्र प्रिंटिंग है। इनका स्थानान्तरण अब तक कभी नहीं किया गया है। बिहार के अन्य सूत्री कनीष अलिभेताओं से श्री जयचन्द्र लाल कनीष अलिभेता का Transfer posting का निश्चय हुआ है। आपके विभाग में एक प्रिंटिंग में अधिक से अधिक कितने वर्षों तक कनीष अलिभेता की रखा जा सकता है। क्या इस कनीष अलिभेता को एक प्रिंटिंग में रहने का विशेष संरक्षण प्राप्त है। इनका पूर्ण विवरण दायरा फॉर देने का कृपा करना किया जाए।

446 / सू० फा० (डा०)  
17-4-18

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने 10=00 रुपये (शब्दों में) दस हजार मात्र,  
तिथि 13.04.2018 को रसीद सं० 42F870345

से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमांड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं० 42F870345 दिनांक 13.04.2018

जो प्रधान सचिव पत्र निर्माण विभाग, पटना, भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

मैंने 10=00 रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।  
आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

राज कुमार

राज कुमार

आवेदक का हस्ताक्षर

ग्राम-माधोपुर रोशन-सीता, पोठ-अमरवाड़ा।  
थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी (843302)

ई-मेल पता, अगर कोई हो;

दूरभाष संख्या

9430949533

स्थान : तिथि :

नोट :- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।

जो लागू नहीं है उसे काट दें।



(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी० सं.-27/18-19

2925 (E) पटना, दिनांक-18/4/18

प्रेषक:

शैलेन्द्र कुमार,  
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री राज कुमार का सूचना-आवेदन दिनांक-शून्य, जो इस विभाग में दिनांक-16.04.2018, को प्राप्त हुआ है (आई०डी० सं०-27/18-19) इसके साथ संलग्न किया जाता है :-

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा-5 (4) के आलोक में प्रपत्र-'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा-5 (5) के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र-'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र-'क' के आलोक में, वांछित सूचना दो सेट में/यदि सूचना शुल्क आवश्यक हो तो वांछित शुल्क की जानकारी, उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

शैलेन्द्र कुमार,  
18.4.18

(शैलेन्द्र कुमार),

दिनांक-18/4/18

ज्ञापांक-2925 (E)

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

शैलेन्द्र कुमार,  
18.4.18

(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग  
कम्प्यूटराईकृत निर्गत  
पंजीयन सं०  
दिनांक-366316  
19-4-18

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

नि=21/2018  
कुल्लु भीष्ट  
मिर्जापुर  
18-05-18

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई0डी0सं0-27/18-19 3425(E) पटना, दिनांक-18/5/18

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,  
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री राज कुमार,  
ग्राम-माधोपुर रौशन,  
पोस्ट-अनघट्टा, थाना-डुमरा,  
जिला-सीतामढ़ी, बिहार, पिन-843302

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक-शून्य, जो इस विभाग में दिनांक-16.04.2018 को प्राप्त हुआ है (आई0डी0सं0-27/18-19) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. याचित सूचना, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3333(E) दिनांक-16.05.2018 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन  
शैलेन्द्र कुमार  
17.5.18  
(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञापांक-3425(E)

पटना, दिनांक-18/5/18

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3333(E) दिनांक-16.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संमर्पित।

पथ निर्माण विभाग  
कम्प्यूटरीकृत निर्मित  
पंजीयन सं०  
दिनांक- 03/02/2018

शैलेन्द्र कुमार  
17.5.18  
(शैलेन्द्र कुमार)

MSM

MP

03

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

पत्र सं०-प्र०३/सू०-१३-१९/२०१८

3333 (E)

पटना, दिनांक 16/5/18

प्रेषक,

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी  
-सह-प्रशाखा पदाधिकारी-०३,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (क्र० एवं परि०)-  
सह-लोक सूचना पदाधिकारी,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय -

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत श्री राज कुमार द्वारा याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। (आई०डी० सं०-२७/२०१८-१९)

प्रसंग -

आपका पत्रांक २९८५(ई०) दिनांक १८.०४.२०१८

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा याचित सूचना के अंतर्गत कंडिका (१) में अबतक?, क्यों? एवं क्या? के संबंध में सूचना माँगी गयी है। फलतः सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-२ (च) के तहत सूचना की परिभाषा की श्रेणी में नहीं आने के कारण देय नहीं है।

विश्वासभाजन

अजय  
16/5/2018

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी  
-सह-प्रशाखा पदाधिकारी-०३,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

554/सू० फा०  
16-5-18

सू० फा०  
16-5-18

550  
17/05/18

अजय  
17/5